हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 17 अंक : 01 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 जनवरी, 2026

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

''सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अगर कोई उम्मीदवार परीक्षा के किसी भी चरण चाहे वह प्रारंभिक परीक्षा हो या अन्य में आरक्षण की छूट का लाभ लेता है तो उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों को लेकर हाल ही में दो ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार बिना किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो उसे जनरल या ओपन कैटेगरी में ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने पूर्व के रुख को ही दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट आधारित चयन को और मजबूत करेंगे।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 19 दिसंबर को राजस्थान हाई कोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ओपन कैटेगरी का अर्थ है 'खुला' यानी इसमें शामिल होने की इकलौती शर्त मेरिट है। अदालत के फैसले से यह साफ हुआ कि जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर किसी को इससे बाहर नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देने भर से कोई उम्मीदवार अपने आप केवल आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं हो जाता है।

द्वितीय फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के एक मामले की सुनवाई करते भारतीय वन सेवा के अनारक्षित कैडर में अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार की नियुक्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस मामले में उम्मीदवार ने चयन के प्रारंभिक परीक्षा चरण में आरक्षण का लाभ उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों फैसले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जनरल या ओपन या सामान्य सूची में शामिल करने की सीमा के संबंध में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

राजस्थान से जुड़े मामले में पेश हुए एडवोकेट कार्तिक सेठ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का 19 दिसंबर का फैसला जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदलता है, बल्कि यह वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के पहले के रुख को और मजबूत करता है। यह फैसला कोई नया कानूनी सिद्धांत नहीं देता है, बल्कि पहले से तय स्थिति को ही दोहराता है। खासतौर पर इंदिरा साहनी मामले में यह साफ किया गया था कि उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर मौका मिलना चाहिए। यदि वे बिना किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सामान्य श्रेणी के कट-ऑफसे ज्यादा अंक हासिल करते हैं, तो उन्हें खुली श्रेणी की सीटों पर शामिल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि अगर किसी उम्मीदवार ने किसी भी चरण में छूट या रियायत का लाभ लिया है, चाहे वह प्रारंभिक स्तर पर ही क्यों न हो तो उसे सामान्य श्रेणी की सीटों पर विचार करना स्वीकार्य नहीं है।

कर्नाटक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि एक बार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने किसी भी प्रकार की छूट का लाभ ले लिया तो अनारक्षित पदों को लेकर उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता हैए जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की। यह याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार को सामान्य सूची में शामिल करने की अनुमति दी गई थी सिर्फ इसलिए कि उसकी रैंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से बेहतर थी, जबकि उसने परीक्षा के प्रारंभिक चरण में छूट का लाभ लिया था।

''सामान्य श्रेणी'' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट का रुख

1. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आरक्षित श्रेणियों का कट-ऑफ सामान्य श्रेणी से अधिक होता है, तो वे उम्मीदवार जो सामान्य कट-ऑफ पार करते हैं, उन्हें सरकारी नौकरियों में सामान्य कोटा में शामिल किया जाना चाहिए।

2. अदालत ने दोहराया कि सामान्य श्रेणी जाति, वर्ग या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुली है यानी इन पदों पर नियुक्ति का एकमात्र आधार योग्यता है,कोर्ट ने अपने पुराने रुख को मजबूत करते हुए कहा कि आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य सूची से बाहर रखना गलत है।

3. सुप्रीम कोर्ट ने सौरव यादव मामले का हवाला देते हुए कहा, खुली श्रेणी सभी के लिए खुली है। इसमें शामिल होने की शर्त सिर्फ मेरिट है, चाहे उम्मीदवार के आरक्षण का अवसर उपलब्ध हो या न हो। अदालत ने यह भी जोड़ा कि इस सिद्धांत को व्यवहार में लाना जरूरी है, बिना इमीग्रेशन जैसे शब्दों से भ्रमित हुए।

4. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भर्ती अभियानों में खुली अनारक्षित या सामान्य श्रेणी का मतलब उन पदों से है जिन पर कोई भी योग्य उम्मीदवार नियुक्त हो सकता है, चाहे वह किसी भी जाति, जनजाति, वर्ग या लिंग का हो। ऐसे पद किसी भी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होते और सभी के लिए खुले रहते हैं।

5. अदालत ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख करने से उम्मीदवार खुद आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं हो जाता है। यह केवल उसे आरक्षित श्रेणी के भीतर प्रतिस्पर्धा का अधिकार देता है।

राजस्थान हाई कोर्ट का मामला क्या है?

* यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। अगस्त 2022 में हाई कोर्ट और जिला अदालतों में जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और क्लर्क ग्रेड-।। के 2,756 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। चयन प्रक्रिया में 300 अंकों की लिखित परीक्षा और 100 अंकों का टाइपिंग टेस्ट भी शामिल थाए

* मई 2023 में परिणाम घोषित होने के बाद यह सामने आया कि कई आरक्षित श्रेणियों के कट-ऑफ अंक सामान्य श्रेणी से अधिक थे। कुछ उम्मीदवारों ने सामान्य कट-ऑफ पार कर लिया था, लेकिन अपनी श्रेणी के कट-ऑफ से कम अंक होने के कारण उन्हें टाइपिंग टेस्ट से बाहर कर दिया गया। उम्मीदवारों ने इसे अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

5 हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मेरिट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए यानी जो उम्मीदवार सामान्य कट-ऑफ पार करते हैं, उन्हें ओपन कैटेगरी में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा और अपीलकर्ताओं की डबल बेनिफिट वाली दलील को खारिज कर दियाए

कर्नाटक का मामला क्या है?

* यह विवाद 2013 में आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा से संबंधित है, जो दो चरणों में हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू।

* प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य कट-ऑफ 267 अंक था, जबकि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 233 अंक था। जी किरण अनुसूचित जाति ने रियायती कट-.ऑफ का लाभ उठाते हुए 247.18 अंक प्राप्त किए, जबकि एंटनी एस मरियप्पा सामान्य ने सामान्य कट ऑफ के आधार पर 270.68 अंक प्राप्त किए। अंतिम मेरिट सूची में किरण का रैंक 19वां और एंटनी का रैंक 37वां था।

* केंद्र सरकार ने एंटनी को जनरल इनसाइडर का पद आवंटित किया और किरण को तमिलनाडु कैडर में रखा गया। किरण ने इसे सेंट्रल एडिमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल और कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट के फैसलों को को रद्द करते हुए जस्टिस माहेश्वारी ने अपने लिखे फैसले में कहा कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करना मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए एक पूर्व शर्त है और इसलिए प्रारंभिक चरण में प्राप्त किसी भी छूट को बाद के चरणों में नजर अंदाज नहीं किया जा सकता।

दोनों फैसले पूरी तरह से अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं,लेकिन ये दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट की ओर से इंदिरा साहनी मामले स्थापित समानता के लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत को ही स्थापित करते हैं।

अध्यक्ष की कलम से

''त्याग ही तप है''

साथियों,

अरण्य की संस्कृति वाले भारत देश में ऋषियों मुनियों ने घर गृहस्थी का सुख वैभव छोड़कर परमेश्वर को पाने के हित शास्त्र अध्ययन, यज्ञ, हवन आदि का अभ्यास जीवन पर्यंत किया। इससे उन्हें परमेश्वर की प्राप्ति हुई या नहीं इसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है। किंतु इस सम्पूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया मार्ग में उन्होंने जिस त्याग को साधन बनाया, उस त्याग ने अब तक करोड़ों लोगों का जीवन पर आलोकित किया है। ऋषि मुनियों के उस त्याग को सामाजिक लोगों ने अपनाया और इन्सान की प्रतिष्ठा को बचाया। भक्ति काल तक यह प्रक्रिया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। लेकिन पिछले दो सौ साल में ज्ञान ने शिक्षा के रूप में अपना जो कलेवर बदला उसने वर्तमान काल के शिक्षित सामाजिकों के रूप में मानवता को राजशाही, पूंजीवादी और तानाशाही से बचाया। ऐसे अनगिनत लोगों में मार्टिन लूथर किंग, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, खान अब्दुल गफ्फार खान, नेल्सन मंडेला जैसे त्याग के मूर्तिमान स्वरूप गिने जा सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी वे लोग जो त्याग को आदर्श मानकर चलते हैं वे अलग पहचाने जा सकते हैं। वैसे ये धारणा है कि धनबल और बाहुबल आज सभी बलों से ऊपर हैं लेकिन क्षणिक उपलब्धि को छोड़ दें तो जो भी व्यक्ति या नेता कालजयी हुए हैं वे सभी त्याग के बल ही प्रमाणित होते आये हैं। इसी त्याग को अपनाकर हमारा ये समता आंदोलन आज देश का एक अकेला संगठन है संवैधानिक शुचिता को स्थापित करने का काम अनवरत करता आया है। हम खुश हैं कि हम और हमारे सदस्यों ने त्याग को तप के रूप में सांगठनिक उपकरण बनाने में सफलता प्राप्त की है और अभी भी रुके नहीं है। -जय समता।

सम्पादकीय

''आरक्षितों से अपील''

ये तो सच है कि जीवन कोमलकांत भाव वाली कविता नहीं होता। दुख और अपमान के विरुद्ध यदि मनुष्य नहीं बोल पाता है तो उसका होना मात्र गिनती भर है और शायद वो भी नहीं। लेकिन दुख और अपमान को किस सीमा तक सहन करने के बाद कोई जन मनुष्य माना जायेगा ऐसा कोई बैरोमीटर दुनिया में कहीं भी कभी बना नहीं है। यदि बना होता तो पता लगाया जा सकता था कि वे कौन से तत्व हैं जो कथित सवर्ण लोगों को मनुष्य मानने से रोकता है। भारत भूमि लगभग 800 साल तक दासता की बेड़ियों में जकड़ी रही। इस दासता ने वे सारे दुर्गुण यहां के मानव जीवन में ठूंस दिए जो कभी भी इस धरती को स्वीकार नहीं थे। इनमें सबसे प्रमुख रहा जाति के नाम पर किसी को मनुष्य से नीचे माना जाना। आज़ादी की प्राप्ति से बहुत पहले जनवरी 1915 में बैरिस्टर मोहन दास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और एक तरह से भारत में ज़ात के नाम पर जो विष फैला हुआ था उसकी जगह मनुष्यता का अमृत छलकने को आतुर दिखने लगा।

लेकिन! हाय रे भाग्य का ऋणात्मक रवैया?? जिन महात्मा गांधी ने ज़ात से पहले मनुष्यता को स्थापित करने के लिए दिन रात एक कर दिया उन्हीं पार्टी कांग्रेस ने 1961-62 में गांधी जी और डॉ भीमराव के बीच हुए पूना पैक्ट को कोने में फेंक कर एक एक्ट लाकर दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को 25-25 साल के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बदल कर ज़ात आरक्षण को रक्तबीज बना दिया। इसके बाद जो हुआ उससे भारत आज आज तक दोराहे पर खड़ा है। जाति आधारित आरक्षण प्राय: सभी पार्टियों के लिए वोट बटोरने का साधन बन गया। इसे भुनाने के लिए संविधान सभा के 298 स्वतंत्रता सेनानी लोगों के ऊपर ''फाल्स गोड'' को थोप दिया गया। यहां तक कि संविधान सभा के अध्यक्ष राष्ट्रपति डा राजेन्द्र प्रसाद को भी दरकिनार कर दिया गया। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि केवल आरक्षित लोग ही भारत के नागरिक हैं और शेष सभी दोयम दर्जे के हैं। ये सब कुछ संविधानिक देश के चिंता का बड़ा भारी कारण बन गया क्योंकि कुछ सालों में ही आरक्षण की सुविधा प्रतिभाशाली युवाओं के लिए न केवल बाधा बन गई वरन् सामान्य नागरिकों के सामने धौंस दपट बन गई।

आज हम जो चाहे कहें और पार्टियां कितनी भी विकास की चाशनी क्यों न बिखेरें लेकिन सभ्य समाज के मुंह की कड़वाहट कम नहीं हो पा रही थी। लेकिन समय ने उसे कम अवश्य कर दिया है। संसद और विधानसभाओं में आरक्षण बदस्तूर जारी है और नौकरियों में भी चल रहा है लेकिन नौकरियों के बिना ही?? राजनैतिक पार्टियाँ बड़ी संख्या में नौकरियां बाँटने की जुमला तुल्य घोषणा भले ही करें परन्तु सिस्टम को हल्का करने के नाम पर परिणाम जन अपेक्षित जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाई 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा को तरह तरह के झूठे सच्चे तरीके अपना कर तोड़ने का न केवल प्रयास कर रही हैं बल्कि सफल भी हो रही हैं। एक ओर ज़ात, धर्म, संप्रदाय के व्यूह में भारत उलझता ही जा रहा है जबकि दूसरी तरफ इस्लामिक नाटो के गठन की ख़बरें डरा रही हैं। ऐसे में हर सभ्य नागरिक की तरफ से हम आरक्षित वर्ग के सभी मित्रों से अनुरोध करते हैं कि वे देशहित में स्वयं को मिले आरक्षण को 75 साल बाद छोड़ने का पुरुषार्थ करें। भारत आपका आभारी रहेगा। जय समता।

-योगेश्वर झाड़सरिया-

खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान... – 40

खुदा तो मैंने देखा या जाना नहीं, पर हाँ, यदि संविधान और सरकार मेहरबान हो जाए तो हर गधे को पहलवान तो क्या? ईश्वर तुल्य बनाया जा सकता है...

धरती पर तो डॉक्टर को ईश्वर का दर्जा प्राप्त है। वे ईश्वर हैं ना नहीं, यह उनका हृदय जाने, पर हर गरीब के लिए तो डॉक्टर ईश्वर के प्रतिनिधि ही हैं....

गधों के सर सींग उगाने की कला बासी हुई पर अबकी बार सरकार ने गधों के सर मोरपंख लगाने की ठान ही ली।

अब सरकार उन तथाकथित डॉक्टर्स को भी चिकित्सा का विशेषज्ञ बनाएगी जो 800 में से जीरो अंक भी ना ला सके। आप परीक्षा दें और एक भी सवाल हल ना कर सकें तो भी जीरो नम्बर पा ही जाएंगे.... पर हाँ, माइनस 40 अंक लाने के लिए इन करामाती डॉक्टर्स को कम से कम 40 सवालों के गलत सलत जवाब देने पड़ेंगे..... मायनस 40 अंक लाना किसी करामात से कम नहीं.....किसी जन्म जात नीम पागल को भी अगर नीट पीजी परीक्षा में बैठा दें तो उसके लिए भी सरकार विशेषज्ञ बनाने के लिए लाल कालीन बिछा देगी..... पर उन प्रोफेसर्स को भी धिक्कार है जिनके पढाए हुए डॉक्टर्स 800 में से जीरो अंक भी ना ला पाए..... और निश्चित ही उन डॉक्टर्स पर भी हज़ार बार लानत जो अपने गुरुजनों - परिजनों के चेहरों पर कालिख मल रहे हैं.....

विश्व भर में भारतीय डॉक्टर्स का एक विशेष महत्व है, अत्यधिक सम्मान है। उन्हें प्राथमिकता दी जाती है, महत्वपूर्ण चिकित्सीय संस्थाओं में सम्मानित पदों पर, उच्च वेतन पर, आसीन किया जाता है....

पर विश्वास नहीं होता कि खुद भारत सरकार भारतीय चिकित्सा शिक्षा को इस शर्मनाक स्तर तक गिराने को मचल उठेगी.... तकनीकी शिक्षा भी रसातल के इस मुकाम को छू लेगी, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा हो.....

तीन तीन बार कौंसिलिंग के बाद भी देश भर में 18000 पीजी सीट्स खाली रह गयीं..... योग्य अभ्यर्थी ही नहीं मिल रहे..... 9000 सीट्स आरक्षित - 9000 अनआरक्षित..... हर प्राइवेट कॉलेज की फीस 1 से 3 करोड़ रुपया..... यानि कि अब विशेषज्ञ चिकित्सक सिर्फ रईसों की गदरायी औलादें या अज्ञानी अनपढ़ आरक्षित एससी-एसटी-ओबीसी डॉक्टर्स के लिए सुरक्षित.... योग्यता को पलीता लगाने में हम सब जी जान से जुटे हैं...

अब हर क्षेत्र में ऐसा ही होना चाहिए..... हर मायनस 40 अंक वाले को देश के हर हवाई जहाज का पायलेट बनाया जाना चाहिए..... हर अनपढ़ को कुलपति, वाचस्पति, प्रोफेसर, लेक्चरर, डीन, डिरेक्टर, मास्टर बनाना चाहिए..... विश्वगुरु बनने की उतावली जो है.....जब पलीता ही लगाना है तो बढिया तरीके से ही लगाएं।

और हाँ, जिन अधिकारियों, नेताओं ने ये सुंदर, महान व्यवस्था की है उनका, उनके बच्चों, परिजनों का इलाज, सिर्फऔर सिर्फ, मायनस 40 अंक वाले विशेषज्ञ चिकित्सक ही करें.....

और हम क्या करें ???? बस बैठे रहें यूँ ही, जाण गेले बनें, गूँगे, अंधे, बहरे बनें, ऋषियों मुनियों की सी बौद्धिक मुद्रा बनाए रखें .. मोक्ष प्राप्ति के इंतज़ार में..... बस इतना ध्यान रखियेगा . कहीं मेंहदी, नेल पोलिश, लिपस्टिक फीकी ना पड़ जाए..... घाघरा सर पर ओढ़ने के बाद कुछ समस्या बाकी ही नहीं रह जाती.....उतर गयी लोई तो क्या करेगा कोई.....

डॉक्टर को मायनस 40 अंक वाले मोर और सुरखाब के पंख लगे सुपर डुपर ज्ञानी डॉक्टर सदस्य मुबारक..... चूँ मत करना, सनद छिन जाएगी.....

जातिगत आरक्षण जिंदाबाद अर्थात देश मुर्दाबाद..... जातिगत आरक्षण अर्थात योग्यता का भक्षण.....

- इंजी कैलाश राजपुरोहित

सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं पर यूजीसी के माध्यम से पैनी नजर

किसी ने माँगा नहीं था, फिर भी केंद्र ने यूजीसी के माध्यम से एक ऐसा नियम थोप दिया है, जो हर कॉलेज और विश्वविद्यालय के परिसर में सामान्य वर्ग के छात्रों को खुले आम निशाना बनाने का रास्ता खोल रहा है। रोहित वेमुला जैसे मामलों पर बवाल मचाने वाली सरकार ने अब प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 नाम से एक नया बिल लागू कर दिया है।

इस नए व्यवस्था के अनुसार, हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्विटी कमिटी और इक्वल ऑपर्च्युनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य है। इन कमिटियों में एससी-एसटी-ओबीसी, महिलाओं और विकलांगों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, जबकि सामान्य वर्ग के छात्रों-शिक्षकों का कोई स्थान नहीं। ये कमिटी समानता स्क्वाड की तरह काम करेगी जो कैंपस में घूम-फिरकर शिकायतें इकट्ठा करेगी। एक भी शिकायत मिली नहीं कि सामान्य वर्ग के छात्र को तुरंत दोषी ठहरा दिया जाएगा। जांच का पूरा बोझ उसी पर डाल दिया जाएगा।

सबसे खतरनाक बात यह है कि एससी-एसटी एक्ट के तहत 95-99 प्रतिशत मामले फर्जी साबित होते हैं, लेकिन इस यूजीसी नियम में गलत आरोप लगाने वाले पर कोई दंडए जुर्माना या अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। फर्जी शिकायत करने वाले को कोई सजा नहीं, जबकि आरोपी सामान्य वर्ग का छात्र मानसिक यातना, अपमान और कैरियर बर्बादी झेलता रहेगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे यूपीए के कम्युनल वायलेंस बिल में हिंदू को आक्रांता दिखाया जाता था। अब यूजीसी के इस नियम में सामान्य वर्ग के हर लड़के को आक्रांता और भेदभाव करने वाला मान लिया गया है।

रोहित बेमुला वाले मामले ऐसा ही नियम के खिलाफ यही सरकार थी जो अपनी छाती पीट रही थी सायद उस समय कहीं का चुनाव रहा होगा, लेकिन इस सरकार का असल मकसद सामान्य वर्ग को कैंपस से डराना और बाहर करना है। पहले से ही आरक्षण की मार से IIT, IIM, AIIMS जैसी संस्थाओं में सामान्य वर्ग की सीटें लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब यह नियम छात्रों को भी अपराधी घोषित कर देगा। एक छोटी सी शिकायत से निलंबन, जांच और सामाजिक बहिष्कार तक की नौबत आ सकती है। सामान्य वर्ग के युवा अब जागें, संगठित हों और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। अन्यथा यह व्यवस्था उन्हें पूरी तरह खत्म कर देगी।

- यूजीसी, सोशल मीडिया से साभार

पौराणिक कथन : ''गंधर्ववेद''

चार उपवेदों में से एक जो सामवेद का उपवेद है। इसमें लोक शास्त्रीय गायन विधा का वर्णन है।

धौंस दपट की फसलें काटें,
दुष्ट मनुज बस निजता छाँटें,
सबकी अपनी जात बड़ी है-
आओ मिलकर मृदुता बाँटें ।।

कविता

''जात धर्म के बजते ढोल''

साधो साधो कहना था वे,
भागो भागो बोल रहे हैं।
हमने जिनको गोद खिलाया,
नेह के बंधन खोल रहे हैं।

झूठ देव के सजा देवरे,
अपनों को बहकाने वाले।
छोड़ -छाड़ कर सही सोच को,
बस हिंसा भड़काने वाले।
उस षट्कोणी भवन कँगूरे,
नील कबूतर बोल रहे हैं।।

न्यायदेव तो बोल रहे पर,
बिना भाव के शब्द न्याय है।
शासन भय से मुख तो चुप हैं,
लेकिन हर दिल हाय-हाय है।
आरक्षित की बल्ले-बल्ले,
योग्य युवा जन डोल रहे हैं।।

ज़ात धर्म के ढोल बजाकर,
दे सत्ता मस्ज़िद को गाली ।
अंधी नगरी चौपट राजा,
हर अनीति पर बजती ताली।
हर दिन इक सन्नाटे जैसा,
सब मन ही मन बोल रहे हैं।।

वे कहते सूरज को चंदा,
सच बोलें तो कौन सुनेगा ।
उनकी हद है उल्टी गणना,
सीधी गिनती कौन गिनेगा।
थाम हाथ में ज़ात तराज़ू,
उल्टा सीधा तोल रहे हैं।।

साधो साधो कहना था वे,
भागो भागो बोल रहे हैं।
हमने जिनको गोद खिलाया,
नेह के बंधन खोल रहे हैं।

- समता डेस्क -

आरक्षण के दंश की कुछ महत्वपूर्ण बातें

जबकि एन.एम.थॉमस मामले में न्यायाधीश महोदय ने किस प्रकार दु:ख प्रकट करते हुए स्वयं ही कहा था कि पिछड़े वर्गों, जिन्हें आरक्षण दिया जाता है, में मौजूद कुछ प्रभावशाली सदस्यों द्वारा आरक्षण का सारा लाभ हड़प लिया जाता है-हम पीछे देख-पढ़ चुके हैं।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

न्यायालय स्वयं वही सबकुछ दोहराता रहा हैं, जिसे वह अनिष्टकारी बताता था। सचमुच जैसा हमारे प्रगतिशीलों की प्रवृत्ति रही है, हर न्यायाधीश पहले सुनाए गए निर्णय में ही नमक-मिर्च लगाकर प्रस्तुत करने के लिए विवश रहा है और इस प्रकार वह अधिकारों को कदम-दर-कदम अनिष्टकारी मोड़ पर ले जा रहा है।

''किसी ऐसे कर्मचारी को जो सेवा अथवा पद में कनिष्ठ है तथा कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं रखता-पदोन्नति देते समय अन्य कर्मचारियो की उपेक्षा किए जाने से न केवल उपेक्षित कर्मचारियों के मन में बल्कि आम कर्मचारियों के मन मे भी रोष और निराशा की भावना पैदा होती हैं। ऐसा कोई भी भेदभाव अनुचित है और उससे असंतोष, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता की स्थिति उत्पन्न होती है।''

''पदोन्नति मे आरक्षण की व्यवस्था से केवल उपेक्षित कर्मचारियो की ही निष्ठा या कुशलता मे कमी नही आती, बल्कि इस पकार पदोन्नति करने वाले कर्मचारी या अधिकारी भी संतोषजनक सेवा नही दे सकते। चूँकि वे इस बात को लेकर आश्वस्त रहेगे कि किसी भी स्थिति मे उन्हे पदोन्नति तो मिलनी ही है, अत: उनकी लगन से कार्य करने की प्रवृति नही रह जाएगी।

माननीय न्यायाधीश आगे कहते हैं, ''यदि कोई विधान(अथवा नियम) इस हद तक पहुँच जाता है तो वह लोकतांत्रिक बुनियाद को ही हिलाकर रख देता है, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय आगे कहता है-'' अत: वास्तविक समानता लाने के लिए समाज में व्याप्त वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखना तथा सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग को छूट प्रदान करना अथवा अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध वर्ग को प्रतिबंधित करके सकारात्मक कदम उठाना आवश्यक है।''

परिणामी समानता के बिना अवसर की समानता के सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं है; क्योकि अवसर की समानता की व्यवस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए, जो सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों को अपेक्षाकृत कम उन्नत लोगों के नीचे दबाने में मदद मिले

अच्छी तरकीब है; जब सच्चाई को न मनाना हो या अपनी किसी बात के पक्ष में कोई ठोस तर्क न मिल रहा हो तो उस विषय को राष्ट्रीय बहस के हवाले कर दो-वह भी अनिशिचित भविष्य में! और तब तक संबंधित व्यवस्था को ही दोषी ठहराते रहो।

क्या अब इस तथ्य का कोई अर्थ नही रहा कि सभी कर्मचारी एक वर्ग के रूप में होते है और एक वर्ग के भीतर भेदभाव नही किया जा सकता?

वर्ष 2025 में 39 मामले दर्ज, इनमें 9 सही पाए गए, 16 झूठे निकले और 14 मामलों की जांच जारी

4 साल में एससी-एसटी एक्ट के 244 केस, जांच में रंजिश, जमीन विवाद से बदले की राजनीति के कारण 58 प्रतिशत झूठे

जिले में बते चार वर्षों में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ''एससी-एसटी एक्ट'' के तहत दर्ज मामलों के आंकड़े कुछ ऐसा ही आईना दिखा रहे हैं। वर्ष 2022 से अब तक जिले के 17 थानों में इस कानून के तहत कुल 244 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन पुलिस जांच में 142 मामले पूरी तरह झूठे पाए गए। लगभग 58 प्रतिशत केस ऐसे रहे, जिनका नास्तविक अत्याचार से कोई सीधा संबंध नहीं था। जिस कानून को दलित और आदिवासी समाज के लिए सुरक्षा कवच माना जाता है, वही प्रतापगढ़ में धीरे-धीरे बदले की राजनीति, निजी रंजिश और जमीन विवाद सुलझाने का हथियार बनता नजर आ रहा है।

कई मामलों में असली विवाद दो सामान्य वर्ग के लोगों के बीच होता है, लेकिन दवाव बनाने और सामने वाले को फंसाने के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से जुड़े व्यक्ति को आगे कर एफ आई आर दर्ज करवाई जाती है। कहीं नौकर के नाम से, कहीं ड्राइवर या किसी परिचित के जरिए मामला दर्ज कराया जाता है। एफआईआर होते ही आरोपी को तत्काल गिरफ्तारी, सामाजिक बदनामी और वर्षों तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है, जबकि सच्चाई बाद में जांच में कुछ और ही निकलती है।

संवेदनशील कानून, लेकिन बढ़ते दुरुपयोग से पुलिस भी परेशान, लोग दबाव बनाने का आसान जरिया बना रहे

एससी-एसटी एक्ट देश के सबसे सख्त और संवेदनशील कानूनों में गिना जाता है। इसका उद्देश्य स्पष्ट सामाजिक भेदभाव से बचाकर है अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लोगों को अत्याचार, अपमान और त्वरित न्याय दिलाना। इसी बजह से इसमें बिना देरी एफआईआर, तत्काल कार्रवाई और विशेष न्यायालय जैसी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में सामने आ रही तस्वीर बताती है कि कानून की यही सख्ती कुछ लोगों के लिए कानूनी दबाव बनाने का आसान जरिया बन गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार थानों पर फरियादियों को साफ तौर पर समझाया जाता है कि झूठा मामला दर्ज कराना खुद एक गंभीर अपराध है।

इसके बावजूद निजी स्वार्थ, लालच और बदले की भावना कानून की चेतावनियों पर भारी पड़ती दिख रही है। वर्ष 2022 में एससी-एसटी एक्ट के तहत कुल 81 मामले दर्ज किए गए, इनमें जांच के बाद 26 प्रकरण सही पाए गए, जबकि 59 मामले झूठे निकले और 3 प्रकरण प्रक्रियाधीन रहे। वर्ष 2023 में 58 मामले सामने आए, इनमें से 19 सही पाए गए, 37 झूठे सिद्ध हुए और 2 मामलों की जांच जारी रही। वर्ष 2024 में दर्ज 59 मामलों में 28 प्रकरण सही, 30 झूठे और 1 मामला प्रक्रियाधीन रहा। वहीं वर्ष 2025 में 39 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, इनमें 9 सही पाए गए हैं, 16 झूठे निकले हैं और 14 मामलों की जांच अभी जारी है।

अधिवक्ता फिरोज खान का मानना है कि एससी-एसटी एक्ट समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बना एक जरूरी कानून है, लेकिन इसके दुरुपयोग से इसकी मूल भावना को नुकसान पहुंच रहा है। जब झूठे मामले बड़ी संख्या में सामने आते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान वास्तविक पीड़ितों को होता हैं। अदालतों और पुलिस पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है और सही मामलों में भी संदेह की नजर से देखा जाने लगता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि कानून का इस्तेमाल ढाल की तरह होना चाहिए, हथियार की तरह नहीं। झूठे मामले में सख्त कार्रवाई और मुआवजे की वसूली जैसे प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। साथ ही प्रारंभिक जांच को और मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि न तो निर्दोष व्यक्ति बेवजह परेशान हो और न ही वास्तविक पीड़ित न्याय से वंचित रहें।

- समता व्यू -

एट्रोसिटी एक्ट में 95 प्रतिशत मुकदमे सात साल से कम सजा बाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेश कुमार के प्रकरण में बड़ा सख्त निर्णय दिया है कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में किसी भी अभियुक्त की न्यायिक निर्णय से पहले कोई गिरफ्तारी नहीं की जाये। यदि किसी प्रकरण में गिरफ्तारी आवश्यक हो तो आइओ द्वारा गिरफ्तारी के कारणों को लिखित में अंकित करते हुए समुचित साक्ष्य एकत्र करके अपने उच्च अधिकारियों से लिखित में अनुमति लेने के बाद ही कोई गिरफ्तारी की जा सकेगी।

चूंकि एट्रोसिटी एक्ट के अधीन 95 प्रतिशत से अधिक अपराध 7 साल तक की सजा वाले हैं अत: इन मुकदमों में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य से प्रावधानों की जानकारी नहीं होने के कारण पुलिस प्रशासन द्वारा निर्दोष अभियुक्तों का भ्रष्टाचार पूर्ण शोषण किया जा रहा है जो गलत है। लोगों को जागरूक होना चाहिए। समता आंदोलन पदाधिकारियों के संपर्क में रहना चाहिए।

* वर्ष 2022 में एससी-एसटी एक्ट के तहत कुल 81 मामले दर्ज किए गए, इनमें जांच के बाद 26 प्रकरण सही पाए गए, जबकि 59 मामले झूठे निकले और 3 प्रकरण प्रक्रियाधीन रहे।
* वर्ष 2023 में 58 मामले सामने आए, इनमें से 19 सही पाए गए, 37 झूठे सिद्ध हुए और 2 मामलों की जांच जारी रही।
* वर्ष 2024 में दर्ज 59 मामलों में 28 प्रकरण सही, 30 झूठे और 1 मामला प्रक्रियाधीन रहा।
* वहीं वर्ष 2025 में 39 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, इनमें 9 सही पाए गए हैं, 16 झूठे निकले हैं और 14 मामलों की जांच अभी जारी है।

टीएसपी में सभी को दें चुनाव लड़ने का अधिकार: समता आन्दोलन

डूंगरपुर । समता आंदोलन समिति शैक्षिक प्रकोष्ठ ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम का जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में टीएसपी क्षेत्र में पंचायत चुनाव में रोटेशन प्रणाली लागू कर सामान्यए ओबीसी व अनुसूचित जाति के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग की। वहीं, उन्होंने बताया कि उदयपुर संभाग के घोषित टीएसपी क्षेत्र में सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के लोग निवास कर व्यापार, उद्योग, कृषि के साथ राजनीति में भी सक्रिय है। कई व्यक्ति आजादी के संघर्ष में स्वतंत्रता सैनानी भी रहे हैं। विभिन्न समाजों जैसे त्रिमेस ब्राह्मण, पाटीदार सागवाड़ा, गुजराती लेउवा पाटीदार, प्रजापत सागवाड़ा, दिगम्बर जैन सागवाड़ा, विश्वकर्मा गुजराती मेवाडा सुथार सागवाड़ा, राजपूत सागवाड़ा, पंचाल चौदह चोखला डूंगरपुर-बांसवाड़ा, जड़िया श्रीमाल, सहस्त्र बड़ी औदिच्य ब्राहमण समाज भीलूड़ा समाज ने ज्ञापनों की प्रतियां भी संलग्न की है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है। पर, टीएसपी क्षेत्र में पैसा कानून के तहत सभी सभी पद आरक्षित कर दिए गए है। इससे सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित जाति के व्यक्ति को चुनाव लड़ने से वंचित है। क्षेत्र के कई गांवों में 90 प्रतिशत जनता इन वर्गों की निवास करती है। लेकिन, जिन स्थानों पर सामान्य, ओबीसी व अनुसूचित वर्ग की 60 प्रतिशत से अधिक आबादी है वहां पंचायत चुनाव में आरक्षण हटा दिया जाए। इसमें सभी योग्य व्यक्ति चुनाव लड़ सकें, वह चाहे किसी भी वर्ग या जाति से हो।

इसको लेकर समता आंदोलन समिति शैक्षिक प्रकोष्ठ के पदाधिकारी जिला कलक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान जिला संरक्षक मनोज शर्मा, जिलाध्यक्ष दिनेश श्रीमाल, जिला महासचिव जगदीश वैष्णव, जिला सचिव पूर्णा शंकर त्रिवेदी, जिला कोषाध्यक्ष नागेंद्र चौबीसा, अमृतलाल यादव, गौरीशंकर जोशी, विनोद कुमार पंड्या, यशवंत जैन, बद्रीनारायण सुथार, अरविंद शाह, प्रभाशंकर पुरोहित, डायालाल व्यास, करणसिंह गेहूंवाडा, केपी सिंह चौहान, रामचंद्र जोशी, कपिल जोशी जेठाना, प्रेम शंकर पंड्या, रमेश पाटीदार वनोरी, हरी शंकर भट्ट, मुकेश तिवारी, कनकमल भरडा, पूंजीलाल प्रजापत आदि मौजूद थे।

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर सिद्धांत लागू करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्यों से मांगा जवाब

1 अगस्त, 2024 को दिए गए एक ऐतिहासिक फैसले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने का सुझाव दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था में क्रीमीलेयर सिद्धांत लागू करने की मांग वाली जनहित याचिका पीआईएल पर केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है, जिसमें आरक्षण नीति में बदलाव की मांग की गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दलील दी कि अगर किसी एससी या एसटी परिवार का सदस्य पहले से ही किसी सांविधानिक पद या वरिष्ठ सरकारी पद पर है, तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एससी-एसटी वर्गों के भीतर सामाजिक और आर्थिक रूप से उन्नत परिवारों को लगातार आरक्षण का लाभ मिलते रहना सकारात्मक कार्रवाई के मूल उद्देश्य को कमजोर करता है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि आरक्षण की व्यवस्था को शुरू में एक अस्थायी और सुधारात्मक उपाय के रूप में लागू किया गया थाए ताकि अत्यधिक पिछड़े, वंचित और शोषित वर्गों को आगे बढ़ाया जा सके। समय के साथ एससी और एसटी समुदायों के भीतर एक ऐसा अभिजात वर्ग उभर आया है, जिसने सामाजिक प्रगति और आर्थिक स्थिरता हासिल कर ली है। इसके बावजूद वही वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेता आ रहा है, जिससे समुदाय के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोग इससे वंचित रह जाते हैं।

संविधान सभा की बहसों का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि आरक्षण का उद्देश्य कभी भी वंशानुगत या अविभेदित अधिकार बनना नहीं था। इसमें डॉ. आंबेडकर और अन्य संविधान निर्माताओं के विचारों का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया कि सकारात्मक कार्रवाई गतिशील रूप से संचालित होनी चाहिए और समय-समय पर इसकी समीक्षा की जानी चाहिए।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in